

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/97819/GKP/GORAKHPUR/1394/CFO

दिनांक : 13-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SAINIK SCHOOL GORAKHPUR** पता **FERTILIZER COLONY, SSB CAMPUS, GORAKHPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **198296.0 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **38285.19** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **15** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ACADEMIC BLOCK	2	0	8.95 mt.
BOYS HOSTE BLOCK	3	0	10.8 mt.
GIRLS HOSTEL	3	0	10.8 mt.
DINING BLOCK	1	0	5.35 mt.
MULTIPURPOSE BLOCK	2	0	10.0 mt.
YOGA CENTER	1	0	5.05 mt.
SHOP CSD CANTEEN	1	0	4.1 mt.
HEALTH CENTER	1	0	4.05 mt.
HS ISR ISP GH OAT	1	0	8.59 mt.
TYPE V	1	0	3.20 mt.
TYPE IV	1	0	3.20 mt.
NO 4 BLOCK TYPE III	2	0	6.85 mt.
2 NOS BLOCK TYPE II	2	0	6.85 mt.
2 NOS BLOCK TYPE I	2	0	6.85 mt.
ESS GR PR	1	0	4.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SAINIK SCHOOL GORAKHPUR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **17-10-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MADHYAMIK SHIKSHA PARISHAD** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-10-2023** से **16-10-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SAINIK SCHOOL GORAKHPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SAINIK SCHOOL GORAKHPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

- Note :**
1. प्रतिष्ठान में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील रखना अनिवार्य होगा।
  2. प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की सावधि नवीनीकरण फीस जमा करते हुए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  3. अतिरिक्त निर्माण कराने के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  - 4- स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
  - 5-सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।
  - 6-FSO समय-समय पर माकड्रिल में प्रतिभाग कर निरीक्षण करते रहे

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-10-2023  
स्थान : GORAKHPUR



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Jai Prakash Singh

49E14DDDA657D84AD71266898C61B1FE4333961

17-10-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.